

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग -1

संख्या -578/एक-1-2023-1-1099/46/2023

लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई 2023

कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के क्रम में राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा०-1, दिनांक 04 सितम्बर, 2018 द्वारा ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त भूमियों के आवंटन के बदले पुनर्ग्रहण का मूल्य जहाँ वह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु पुनर्ग्रहीत हों, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य लेखाशीर्षक में जमा किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 04.09.2018 में निहित व्यवस्था में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

'ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित धारा-59 की उपधारा-2 की भूमि को संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निःशुल्क निहित किया जाएगा।'

2- शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- गॉर्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव